

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 476

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस,  
मानसरोवर, जयपुर

विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत "सोसियल नेटवर्किंग साइट्स: वरदान या अभिशाप?" विषय पर राज्य स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा राज्य स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता, 2013-14 का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जायेगा। प्रतियोगिता के आयोजन पर होने वाले व्यय एवं पुरस्कार देने हेतु निदेशालय स्तर पर उपलब्ध बजट में से सहायता राशि के रूप में 40,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त प्रतियोगिता के आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान जावे:-

- 1 सहायियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के प्रतिहस्ताक्षर होंगे।
- 2 निबन्ध प्रतियोगिता का विषय- "सोसियल नेटवर्किंग साइट्स: वरदान या अभिशाप?" ।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवाये जायेंगे।
- 4 पुरस्कार राशि निम्न प्रकार होगी:-  
प्रथम पुरस्कार 2000/-रुपये  
द्वितीय पुरस्कार 1500/-रुपये  
तृतीय पुरस्कार 1000/-रुपये
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।
- 6 प्रतियोगिता के लिए निबन्ध किसी एक निर्धारित तिथि तक स्वीकार करें तथा दो अलग-अलग विशेषज्ञों से मूल्यांकन करवाकर औसत अंकों के आधार पर परिणाम घोषित करें।
- 7 यह प्रतियोगिता राज्य स्तर की होगी जिसमें महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक ही भाग ले सकेंगे।

राजदीय,  
नवीम जैन  
निदेशक

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 476

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (गुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहाय्य प्रदान करें।
6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

समन्वयक,  
युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 477

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय,  
कालाडेरा।

विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत "अनुशासन ही सफलता की कुंजी हैं" विषय पर राज्य स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में राज्य स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता, 2013-14 का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जायेगा। प्रतियोगिता के आयोजन पर होने वाले व्यय एवं पुरस्कार देने हेतु निदेशालय स्तर पर उपलब्ध बजट में से सहायता राशि के रूप में 40,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त प्रतियोगिता के आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखे:-

- 1 सहभागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के प्रतिहस्ताक्षर होंगे।
- 2 निबन्ध प्रतियोगिता का विषय- "अनुशासन ही सफलता की कुंजी हैं"।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
- 4 पुरस्कार राशि निम्न प्रकार होगी:-  
प्रथम पुरस्कार 2000/-रुपये  
द्वितीय पुरस्कार 1500/-रुपये  
तृतीय पुरस्कार 1000/-रुपये
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।
- 6 प्रतियोगिता के लिए निबन्ध किसी एक निर्धारित तिथि तक स्वीकार करें तथा दो अलग-अलग विशेषज्ञों से मूल्यांकन करवाकर औसत अंकों के आधार पर परिणाम घोषित करें।
- 7 यह प्रतियोगिता राज्य स्तर की होगी जिसमें महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक ही भाग ले सकेंगे।

प्रदीप,  
(नवीन जैन)  
निदेशक

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 477

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहायक प्रदान करें।
6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

Swaban  
समन्वयक,

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/478

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
कानोडिया महिला पी.जी. महाविद्यालय,  
जयपुर।


विषय: निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता "General Awareness about Rajasthan" विषय पर आयोजन करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, 2013-14 का आयोजन "General Awareness about Rajasthan" विषय पर आपके महाविद्यालय में किया जायेगा। प्रतियोगिता के आयोजन पर होने वाले व्यय एवं पुरस्कार देने हेतु निदेशालय स्तर पर उपलब्ध बजट में से सहायता राशि के रूप में 50,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त प्रतियोगिता के आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखें:-

- 1 सहभागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के प्रतिहस्ताक्षर होंगे।
- 2 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का विषय- "सोसियल नेटवर्किंग साइटस: वरदान या अभिशाप ?"।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
- 4 पुरस्कार राशि निम्न प्रकार होगी:-  
प्रथम पुरस्कार 2000/-रुपये  
द्वितीय पुरस्कार 1500/-रुपये  
तृतीय पुरस्कार 1000 /-रुपये
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।
- 6 प्रतियोगिता के लिए प्रश्नोत्तरी किसी एक निर्धारित तिथि तक रखें तथा दो अलग-अलग विशेषज्ञों से मूल्यांकन करवाकर औसत अंकों के आधार पर परिणाम घोषित करें।
- 7 यह प्रतियोगिता राज्य स्तर की होगी जिसमें महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक ही भाग ले सकेंगे।


भेददीय,  
  
(ज. जे. जे.)  
निदेशक

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/478

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहायोग प्रदान करें।
6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

  
समन्वयक,  
युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/479

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,

निदेशालय

विषय:- राष्ट्रीय सेवा योजना से संबद्ध महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय सम्भागशः सम्मेलन आयोजित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2013-14 के लिए निम्नांकित एजेण्डा पर विचार-विमर्श करने हेतु आपके महाविद्यालय में 2 दिवसीय सम्भागशः सम्मेलन का आयोजन निम्न प्रकार किया जाना है:-

क्र.सं.	सम्भाग	आयोजक महाविद्यालय का नाम	संभावित संख्या	आवटित राशि रूपयों में
1	अजमेर	राज. महाविद्यालय, ब्यावर	90	36000
2	बीकानेर	राजकीय महाविद्यालय, हनुमानगढ़	132	52800
3	जयपुर	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चौमूं	368	147200
4	भरतपुर	राजकीय एमएसजे महाविद्यालय, भरतपुर	100	40000
5	जोधपुर	महिला महाविद्यालय, जोधपुर	59	23600
6	कोटा	राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा	49	19600
7	उदयपुर	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़	76	30400

सम्मेलन के आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जानी है-

- 1 सम्भागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर प्रतिहस्ताक्षर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के होंगे।
- 2 आयोजन में विषय विशेषज्ञों एवं स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवाये जायेंगे।
- 4 सम्मेलन पूर्णतः आवासीय एवं दो दिन का होगा। अतः समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करें।
- 5 आवटित राशि का नियमानुसार उपयोग करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।

इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारी ही भाग लेंगे। सम्मेलन के आयोजन के लिए उक्तानुसार स्वीकृत राशि का डीडी भिजवाया जायेगा।

सम्मेलन के विचारणीय बिन्दु

- 1 राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों का प्रभावी ढंग से आयोजना एवं क्रियान्वयन
- 2 विशेष शिविरों का आयोजन
- 3 अभिलेखों तथा लेखों का संधारण
- 4 हरित राजस्थान/शुद्ध के लिए युद्ध।
- 5 सूचना अधिकार एवं लोक सेवा गारण्टी विषय पर- भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता।
- 6 लोक प्रशासनिक सेवाओं में अंग्रेजी विषय की महत्ता।
- 7 युवा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर जागरूकता बढ़ाना
- 8 भारत सरकार एवं राज्य सरकार की रोजगार योजनाओं की जानकारी
- 9 जल एवं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन।
- 10 सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा।

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/479

दिनांक 17 सितम्बर 2013

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
  2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (गुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
  3. कौशल विकास, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
  4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
  5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहायक प्रदान करें।
  6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

समन्वयक,

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/480

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
राजकीय कन्या महाविद्यालय,  
अजमेर।


विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित स्वयंसेवकों के लिए "छोटे राज्य विकास की गारण्टी हैं या नहीं" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

महोदय,

निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में अजमेर सम्भाग (नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं टोंक जिले) के महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयों से एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 2 चयनित स्वयंसेवकों के लिए "छोटे राज्य विकास की गारण्टी हैं या नहीं" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जाना है। इस आयोजन में ग्रामीणों का भी सहभागी बनाया जावे। आयोजन के लिए निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उपलब्ध बजट में से 73600/- रुपये के आवंटन की स्वीकृति जारी की जाती है जिसका चैक/डीडी शीघ्र भिजवा दिया जायेगा। कार्यशाला आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे:-

- 1 सम्भागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर प्रतिहस्ताक्षर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के होंगे।
- 2 आयोजन में विषय विशेषज्ञों एवं स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
- 4 कार्यशाला एक दिन की होगी। अतः समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करें।
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।
- 6 कार्यक्रम आयोजन के संबंध में स्थानीय विशेषज्ञों, अधिकारियों, संस्थाओं जैसे एनजीओ, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी आदि का सहयोग भी प्राप्त करें।

भवदीय,


  
निदेशक  
निदेशालय

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/480

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहायक प्रदान करें।
6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

  
समन्वयक,

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 481

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
राजकीय लोहिया महाविद्यालय,  
चूरु।

विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित स्वयंसेवकों के लिए "मरुस्थलीय जिलों में विकास की विशेष योजनायें" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

महोदय,

निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में बीकानेर संभाग (हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरु एवं बीकानेर जिले) के महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयों से एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 2 चयनित स्वयंसेवकों के लिए "मरुस्थलीय जिलों में विकास की विशेष योजनायें" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जाना है। इस आयोजन में ग्रामीणों का भी सहभागी बनाया जावे। आयोजन के लिए निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उपलब्ध बजट में से 110800/- रुपये के आवंटन की स्वीकृति जारी की जाती है जिसका चैक/डीडी शीघ्र भिजवा दिया जायेगा। कार्यशाला आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे:-

- 1 सम्भागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर प्रतिहस्ताक्षर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के होंगे।
- 2 आयोजन में विषय विशेषज्ञों एवं स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
- 4 कार्यशाला एक दिन की होगी। अतः समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करें।
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।
- 6 कार्यक्रम आयोजन के संबंध में स्थानीय विशेषज्ञों, अधिकारियों, संस्थाओं जैसे एनजीओ, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी आदि का सहयोग भी प्राप्त करें।

निदेशक,  
निदेशालय  
निदेशक

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 481

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहायोग प्रदान करें।
6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

समन्वयक,  
युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 482

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
राजकीय जे.डी.बी. कन्या महाविद्यालय,  
कोटा।


विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित स्वयंसेवकों के लिए "आधुनिक जीवन शैली से बढ़ते रोग" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

महोदय,

निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में कोटा सम्भाग (कोटा, बुन्दी, झालावाड़ एवं बारां जिले) के महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयों से एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 2 चयनित स्वयंसेवकों के लिए "आधुनिक जीवन शैली से बढ़ते रोग" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जाना है। इस आयोजन में ग्रामीणों का भी सहभागी बनाया जावे। आयोजन के लिए निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उपलब्ध बजट में से 40600/- रुपये के आवंटन की स्वीकृति जारी की जाती है जिसका चैक/डीडी शीघ्र भिजवा दिया जायेगा। कार्यशाला आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे:-

- 1 सम्भागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर प्रतिहस्ताक्षर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के होंगे।
- 2 आयोजन में विषय विशेषज्ञों एवं स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
- 4 कार्यशाला एक दिन की होगी। अतः समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करें।
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।
- 6 कार्यक्रम आयोजन के संबंध में स्थानीय विशेषज्ञों, अधिकारियों, संस्थाओं जैसे एनजीओ, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी आदि का सहयोग भी प्राप्त करें।

भुवदीय,


  
(निदेशक)  
निदेशक

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 482

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहायोग प्रदान करें।
6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

  
समन्वयक,

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/483

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय,  
राजसमन्द।


विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित स्वयंसेवकों के लिए "क्या वाकई में मोबाईल एवं इन्टरनेट उच्च शिक्षा में योगदान दे सकते हैं?" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

महोदय,

निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में उदयपुर सम्भाग (उदयपुर, बांसवाड़ा, झुंजारपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द जिले) के महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयों से एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 2 चयनित स्वयंसेवकों के लिए "क्या वाकई में मोबाईल एवं इन्टरनेट उच्च शिक्षा में योगदान दे सकते हैं?" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जाना है। इस आयोजन में ग्रामीणों का भी सहभागी बनाया जावे। आयोजन के लिए निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उपलब्ध बजट में से 64400/- रुपये के आवंटन की स्वीकृति जारी की जाती है जिसका चैक/डीडी शीघ्र भिजवा दिया जायेगा। कार्यशाला आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे:-

- 1 सम्भागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर प्रतिहस्ताक्षर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के होंगे।
- 2 आयोजन में विषय विशेषज्ञों एवं स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
- 4 कार्यशाला एक दिन की होगी। अतः समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करें।
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।
- 6 कार्यक्रम आयोजन के संबंध में स्थानीय विशेषज्ञों, अधिकारियों, संस्थाओं जैसे एनजीओ, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी आदि का सहयोग भी प्राप्त करें।

भवदीय,


  
निदेशक

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/483

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहायोग प्रदान करें।
6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

  
समन्वयक,

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ



## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/484

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय,  
बाड़मेर।

विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित स्वयंसेवकों के लिए "सड़क नियमों का पालन अब अनिवार्य नहीं रहा, इच्छा पर निर्भर है ?" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

महोदय,

निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में जोधपुर सम्भाग (जोधपुर, पाली, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर व सिरौही जिले) के महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयों से एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 2 चयनित स्वयंसेवकों के लिए "सड़क नियमों का पालन अब अनिवार्य नहीं रहा, इच्छा पर निर्भर है ?" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जाना है। इस आयोजन में ग्रामीणों को भी सहभागी बनाया जावे। आयोजन के लिए निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उपलब्ध बजट में से 50600/- रुपये के आवंटन की स्वीकृति जारी की जाती है, जिसका चैक/डीडी शीघ्र भिजवा दिया जायेगा। कार्यशाला में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे:-

- 1 सम्भागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर प्रतिहस्ताक्षर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के होंगे।
- 2 आयोजन में विषय विशेषज्ञों एवं स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
- 4 कार्यशाला एक दिन की होगी। अतः समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करें।
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को प्रस्तुत करें।
- 6 कार्यक्रम आयोजन के संबंध में स्थानीय विशेषज्ञों, अधिकारियों, संस्थाओं जैसे एनजीओ, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी आदि का सहयोग भी प्राप्त करें।

भारतीय  
(नवीम जैन)  
निदेशक

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/484

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहायक प्रदान करें।
6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

Sunahan  
समन्वयक,

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 485

दिनांक 17 सितम्बर 2013


प्राचार्य,  
राजकीय रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय,  
भरतपुर।

विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित स्वयंसेवकों के लिए "सूचना के अधिकार से प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी है" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

महोदय,

निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में भरतपुर सम्भाग (भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर जिले) के महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयों से एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 2 चयनित स्वयंसेवकों के लिए "सूचना के अधिकार से प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी है" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जाना है। इस आयोजन में ग्रामीणों का भी सहभागी बनाया जावे। आयोजन के लिए निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उपलब्ध बजट में से 82800/- रुपये के आवंटन की स्वीकृति जारी की जाती है जिसका चेक/डीडी शीघ्र भिजवा दिया जायेगा। कार्यशाला आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे:-


- 1 सम्भागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर प्रतिहस्ताक्षर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के होंगे।
- 2 आयोजन में विषय विशेषज्ञों एवं स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
- 4 कार्यशाला एक दिन की होगी। अतः समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करें।
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।
- 6 कार्यक्रम आयोजन के संबंध में स्थानीय विशेषज्ञों, अधिकारियों, संस्थाओं जैसे एनजीओ, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी आदि का सहयोग भी प्राप्त करें।

भवदीय,  
  
(नवीन जैन)  
निदेशक

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 485

दिनांक 17 सितम्बर 2013

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
  2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (गुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
  3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
  4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
  5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहाय्य प्रदान करें।
  6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

  
समन्वयक,

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

राजस्थान सरकार

शिक्षा-विभाग

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 486

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
राजकीय कन्या महाविद्यालय,  
पीपाडसिटी।

विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित स्वयंसेवकों के लिए "सूचना अधिकार एवं लोक सेवा गारण्टी विषय पर- भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

महोदय,

निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में जोधपुर सम्भाग (जोधपुर, पाली, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर व सिरोही जिले) के महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयों से एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 2 चयनित स्वयंसेवकों के लिए "सड़क नियमों का पालन अब अनिवार्य नहीं रहा, ईच्छा पर निर्भर है" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जाना है। इस आयोजन में ग्रामीणों को भी सहभागी बनाया जावे। आयोजन के लिए निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उपलब्ध बजट में से 23400/- रुपये के आवंटन की स्वीकृति जारी की जाती है, जिसका चैक/डीडी शीघ्र भिजवा दिया जायेगा। कार्यशाला में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे:-

- 1 सम्भागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर प्रतिहस्ताक्षर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के होंगे।
- 2 आयोजन में विषय विशेषज्ञों एवं स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कालेज शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
- 4 कार्यशाला एक दिन की होगी। अतः समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करें।
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को प्रस्तुत करें।
- 6 कार्यक्रम आयोजन के संबंध में स्थानीय विशेषज्ञों, अधिकारियों, संस्थाओं जैसे एनजीओ, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी आदि का सहयोग भी प्राप्त करें।

राष्ट्रीय,  
(नवीन जैन)  
निदेशक

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 486

दिनांक 17 सितम्बर 2013

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
  2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
  3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
  4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
  5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहाय्य प्रदान करें।
  6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय कालेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

Swatan  
समन्वयक,

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/487

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
आचार्य कालू कन्या कॉलेज,  
लाडनू (नागौर)


विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित स्वयंसेवकों के लिए "लोक प्रशासनिक सेवाओं में अंग्रेजी विषय की महत्ता" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

महोदय,

निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में अजमेर, सम्भाग (नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं टोंक जिले) के महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयों से एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 2 चयनित स्वयंसेवकों के लिए "लोक प्रशासनिक सेवाओं में अंग्रेजी विषय की महत्ता" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जाना है। इस आयोजन में ग्रामीणों का भी सहभागी बनाया जावे। आयोजन के लिए निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उपलब्ध बजट में से 34350/- रुपये के आवंटन की स्वीकृति जारी की जाती है जिसका चैक/डीडी शीघ्र भिजवा दिया जायेगा। कार्यशाला आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे:-

- 1 सम्भागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर प्रतिहस्ताक्षर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के होंगे।
- 2 आयोजन में विषय विशेषज्ञों एवं स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
- 4 कार्यशाला एक दिन की होगी। अतः समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करें।
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।
- 6 कार्यक्रम आयोजन के संबंध में स्थानीय विशेषज्ञों, अधिकारियों, संस्थाओं जैसे एनजीओ, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी आदि का सहयोग भी प्राप्त करें।

भवनिय,


  
(नवीन जैन)  
निदेशक

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/487

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहायोग प्रदान करें।
6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

  
समन्वयक,

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/488

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
राजकीय विधि महाविद्यालय,  
बीकानेर।

विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित स्वयंसेवकों के लिए "अधिवक्ताओं की हड़ताल: कौन तय करेगा इसकी सीमा?" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

महोदय,

निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में बीकानेर सम्भाग (हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू एवं बीकानेर जिले) के महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयों से एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 2 चयनित स्वयंसेवकों के लिए "अधिवक्ताओं की हड़ताल: कौन तय करेगा इसकी सीमा?" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जाना है। इस आयोजन में ग्रामीणों का भी सहभागी बनाया जावे। आयोजन के लिए निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उपलब्ध बजट में से 51450/- रुपये के आवंटन की स्वीकृति जारी की जाती है जिसका चैक/डीडी शीघ्र भिजवा दिया जायेगा। कार्यशाला आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे:-

- 1 सम्भागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर प्रतिहस्ताक्षर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के होंगे।
- 2 आयोजन में विषय विशेषज्ञों एवं स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
- 4 कार्यशाला एक दिन की होगी। अतः समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करें।
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।
- 6 कार्यक्रम आयोजन के संबंध में स्थानीय विशेषज्ञों, अधिकारियों, संस्थाओं जैसे एनजीओ, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी आदि का सहयोग भी प्राप्त करें।

भारतीय,  
नवीन जैन

निदेशक

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/488

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहायता प्रदान करें।
6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

समन्वयक,

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/489

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय,  
धौलपुर।

विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित स्वयंसेवकों के लिए "कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम एवं युवा" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

महोदय,

निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में भरतपुर सम्भाग (भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर जिले) के महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयों से एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 2 चयनित स्वयंसेवकों के लिए "कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम एवं युवा" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जाना है। इस आयोजन में ग्रामीणों का भी सहभागी बनाया जावे। आयोजन के लिए निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उपलब्ध बजट में से 38550/- रुपये के आवंटन की स्वीकृति जारी की जाती है जिसका चैक/डीडी शीघ्र भिजवा दिया जायेगा। कार्यशाला आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे:-

- 1 सम्भागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर प्रतिहस्ताक्षर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के होंगे।
- 2 आयोजन में विषय विशेषज्ञों एवं स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
- 4 कार्यशाला एक दिन की होगी। अतः समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करें।
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।
- 6 कार्यक्रम आयोजन के संबंध में स्थानीय विशेषज्ञों, अधिकारियों, संस्थाओं जैसे एनजीओ, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी आदि का सहयोग भी प्राप्त करें।

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/489

दिनांक 17 सितम्बर 2013

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
  2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
  3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
  4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
  5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहायता प्रदान करें।
  6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

राजकीय,  
निकाशि,  
निदेशक

समन्वयक,

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 490

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
राजकीय कन्या महाविद्यालय,  
झालावाड़।

विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित स्वयंसेवकों के लिए "सड़क सुरक्षा के प्रति बढ़ती लापरवाही" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

महोदय,

निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में कोटा सम्भाग (कोटा, बुन्दी, झालावाड़ एवं बारां जिले) के महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयों से एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 2 चयनित स्वयंसेवकों के लिए "सड़क सुरक्षा के प्रति बढ़ती लापरवाही" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जाना है। इस आयोजन में ग्रामीणों का भी सहभागी बनाया जावे। आयोजन के लिए निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उपलब्ध बजट में से 18900/- रुपये के आवंटन की स्वीकृति जारी की जाती है जिसका चैक/डीडी शीघ्र भिजवा दिया जायेगा। कार्यशाला आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे:-

- 1 सम्भागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर प्रतिहस्ताक्षर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के होंगे।
- 2 आयोजन में विषय विशेषज्ञों एवं स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें।
- 3 राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
- 4 कार्यशाला एक दिन की होगी। अतः समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करें।
- 5 आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।
- 6 कार्यक्रम आयोजन के संबंध में स्थानीय विशेषज्ञों, अधिकारियों, संस्थाओं जैसे एनजीओ, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी आदि का सहयोग भी प्राप्त करें।

भवदीय,

(नवीन जैन)  
निदेशक

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/ 490

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
4. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहाय्य प्रदान करें।
6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(समन्वयक)

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ

## निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/491

दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय,  
मण्डफिया।

विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों एवं चयनित स्वयंसेवकों के लिए "विकास के लिए पर्यावरण का विनाश कितना उचित है?" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

महोदय,

निदेशालय कॉलेज शिक्षा के तत्वावधान में उदयपुर सम्भाग (उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द जिले) के महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाइयों से एक कार्यक्रम अधिकारी एवं 2 चयनित स्वयंसेवकों के लिए "विकास के लिए पर्यावरण का विनाश कितना उचित है?" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आपके महाविद्यालय में किया जाना है। इस आयोजन में ग्रामीणों का भी सहभागी बनाया जावे। आयोजन के लिए निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उपलब्ध बजट में से 29850/- रुपये के आवंटन की स्वीकृति जारी की जाती है जिसका चैक/डीडी शीघ्र भिजवा दिया जायेगा। कार्यशाला आयोजन में निम्नांकित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे:-


1. सम्भागियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे, जिन पर प्रतिहस्ताक्षर समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के होंगे।
2. आयोजन में विषय विशेषज्ञों एवं स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करें।
3. राज्य के समस्त महाविद्यालयों की सूची/बैठक दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यवाही विवरण (निदेशालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध) अनुसार सम्पूर्ण जानकारी सहित आवश्यक आमन्त्रण/परिपत्र महाविद्यालय स्तर पर भिजवायें जायेंगे।
4. कार्यशाला एक दिन की होगी। अतः समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करें।
5. आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार करके, उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति प्रतिवेदन मय अधिशेष राशि निदेशालय को आयोजन पश्चात् प्रस्तुत करें।
6. कार्यक्रम आयोजन के संबंध में स्थानीय विशेषज्ञों, अधिकारियों, संस्थाओं जैसे एनजीओ, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी आदि का सहयोग भी प्राप्त करें।

भवदीय,  
  
(नेवीम जैन)  
निदेशक

क्रमांक एफ 9(बैठक)एनएसएस/निकाशि/13/491

दिनांक 17 सितम्बर 2013

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
  2. राज्य सम्पर्क अधिकारी (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
  3. कैशियर, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की प्राप्त राशि में से आवंटित राशि का डीडी बनाकर संबंधित महाविद्यालय को भिजवायें।
  4. सहायक कार्यक्रम-सलाहकार, प्रादेशिक केन्द्र, एसबी-12 बापूनगर, जयपुर।
  5. संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भेजकर लेख है कि वे स्वयं उपस्थित रहकर संबंधित महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित कराने में सहायोग प्रदान करें।
  6. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

  
समन्वयक,

युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ